

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-2,

संख्या:- 1038 /XXXVI(2)/24/09(विविध) / 24

देहरादून, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मा.उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में समूह "घ" के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात:-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय समूह "घ" सेवा नियमावली, 2024

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय समूह "घ" सेवा नियमावली, 2024" है।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- परिभाषा**

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) "अनुसेवक (चपरासी/कार्यालय चपरासी/आवासीय कार्यालय चपरासी/गृह अर्दली/चपरासी)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कर्तव्य अपने वरिष्ठों के आदेशों और निर्देशों का पालन करना है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती

- हो, नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाये;
- (ग) "बंडल लिफ्टर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यायालय के रिकार्ड कीपर के साथ काम करता है और वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करता है;
- (घ) "चौकीदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इमारतों, परिसरों आदि की आग, चोरी, अवैध प्रवेश और ऐसी अन्य आकस्मिकताओं से सुरक्षा करता है, अपने कर्तव्य के बारे में निर्देश प्राप्त करता है, इमारतों और परिसरों के चारों ओर अक्सर गश्त करता है, दरवाजों, खिड़कियों और गेटों की जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि वे ठीक से सुरक्षित हैं और उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है तथा वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करता है;
- (ङ) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
- (च) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
- (छ) "दफ्तरी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कार्यालय की फाइलों और कार्यालय की अन्य आवश्यक वस्तुओं का रखरखाव करता है और वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करता है;
- (ज) "सीधी भर्ती" से जजशिप के अधीनस्थ न्यायालय के स्टाफ में पहले से ही कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के अलावा अन्य तरीके से भर्ती अभिप्रेत है;
- (झ) "जिला न्यायाधीश" से जजशिप का प्रभारी न्यायाधीश अभिप्रेत है;
- (ञ) "अधिष्ठान" से अधीनस्थ सिविल न्यायालय का समूह-घ अधिष्ठान, जिसमें समूह-घ के रूप में वर्गीकृत सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और प्रत्येक जजशिप के बजट के अधिष्ठान अनुभाग से भुगतान किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (ट) "फर्राश" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चाबियों और तालों का संरक्षक है और न्यायालय/कार्यालय परिसर में सफाई के काम की देखरेख करता है;

- (ठ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ढ) "उच्च न्यायालय" से नैनीताल में स्थित उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;
- (ण) "जजशिप" से समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा परिभाषित जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत है;
- (त) "माली या गार्डनर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सार्वजनिक या निजी उद्यानों में फूल, पेड़, झाड़ियाँ, पौधे, सब्जियाँ आदि उगाता है, मिट्टी तैयार करता है तथा बीज, पौधे, अंकुर आदि बोता है और उद्यान का रख-रखाव करता है;
- (थ) "प्रोसेस सर्वर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यायालय द्वारा जारी समन, नोटिस या अन्य कानूनी प्रोसेस को संबंधित पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होने या बकाया राशि आदि की वसूली के लिए तामील करता है;
- (द) "नियमावली" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय समूह 'घ' सेवा नियमावली, 2024 अभिप्रेत है;
- (ध) "अधीनस्थ सिविल न्यायालय" से जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश (एसडी), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (एसडी), सिविल न्यायाधीश (जेडी), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जेडी), लघुवाद न्यायालय तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश के अधीनस्थ अन्य सभी न्यायालय अभिप्रेत है;
- (न) "सफाई कर्मचारी या पर्यावरण मित्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इमारतों, सड़कों, पार्कों, शौचालयों आदि को साफ करता है; झाड़ लगता है और रगड़ता है; कालीनों और दरियों तथा फर्नीचर को ब्रश से साफ

करता है; कचरा हटाता है; इमारतों आदि के फर्श को झाड़ या ब्रश से साफ करता है; धूल और कचरे को टोकरी में भरकर डस्टबिन में डालता है;

(प) "प्रतीक्षा सूची" से अधिष्ठान में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए इन नियमों के अधीन अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची से अभिप्रेत है;

3. समूह "घ"
अधिष्ठान की
क्षमता

(1) अधिष्ठान की क्षमता वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जो एक वर्ष से अधिक के लिए आवश्यक न हों, जिन्हें सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष नवीनीकृत किया जा सके;

परन्तु यह और कि बिना किसी व्यक्ति को प्रतिकर का हकदार बनाये राज्यपाल द्वारा किसी रिक्त पद को स्थगित रखा जा सकता है या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे रिक्त रखा जा सकता है।

(2) प्रत्येक जजशिप पर समूह "घ" स्टाफ को सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा;

- (i) दफ्तरी और बंडल लिफ्टर,
- (ii) प्रोसेस सर्वर,
- (iii) अनुसेवक और फर्शाश,
- (iv) चौकीदार और माली,
- (v) अंशकालिक सफाई कर्मचारी।

4. कार्य विवरणी

(1) माली, सफाई कर्मचारी और चौकीदारों को छोड़कर, अन्य सभी समूह "घ" कर्मचारियों की सेवाएँ प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक, फर्शाश के प्रयोजन के लिए आपस में परिवर्तित की जा सकेंगी। यद्यपि समूह "घ" कर्मचारियों में सबसे वरिष्ठ को प्रोसेस सर्वर के रूप में काम करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, जिला न्यायाधीश कर्मचारियों की दक्षता और आवश्यकता के

अनुसार उनके बीच कार्य वितरित कर सकते हैं।

(2) समूह "घ" के कर्मचारी पीठासीन अधिकारियों या वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों जिनमें सभी घरेलू और गृह-सहायक कर्तव्य भी शामिल हैं को समर्पित भाव से (आवश्यकता और तात्कालिकता के आधार पर), यहां तक कि छुट्टियों के दौरान और नियमित कार्य घंटों के बाद भी करेंगे।

(3) उनकी प्रारंभिक नियुक्ति और परीक्षा अवधि के दौरान कड़ी निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा यदि चयनित अभ्यर्थियों का कार्य और आचरण परीक्षा अवधि के दौरान या उसके बाद संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनकी सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

5. **स्थायी पदों के लिए नियुक्ति का स्रोत**

अधिष्ठान में निम्नलिखित पदों पर भर्ती की जाएगी:—

(1) **दफ्तरी और बंडल लिफ्टर**— प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक और फर्राश में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, को नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु यह कि इन पदों पर किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह देवनागरी लिपि में हिंदी को सही और प्रवाहपूर्वक पढ़ने और लिखने में सक्षम न हो और कार्यालय के कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन न कर सके और दफ्तरी के पद के मामले में जब तक वह पुस्तक जिल्दसाजी भी न जानता हो, तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) **प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक और फर्राश**— नियम 6 में उल्लिखित सीधी भर्ती द्वारा;

समूह "घ" के कर्मचारी बहुकार्यक्षम होने चाहिए तथा चयन में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसे खाना बनाना, ड्राइविंग, बिजली, प्लम्बर और बढ़ई का काम तथा अन्य विविध कार्यों का ज्ञान हो।

(3) **माली और चौकीदार**— राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी जैसे उपनल, पीआरडी आदि से सरकार द्वारा तय मानदेय के आधार पर आउटसोर्स

किए जाएंगे।

(4) सफाई कर्मचारी—राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय पर अंशकालिक रूप में।

6. नियुक्ति प्रक्रिया

समूह "घ" संवर्ग में किसी रिक्ति की दशा में उच्च न्यायालय प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक और फर्राश के लिए स्वयं केंद्रीकृत भर्ती आयोजित कर सकेगा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किसी भर्ती एजेंसी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करा सकेगा। उच्च न्यायालय संबंधित जिला न्यायाधीश या परिवार न्यायाधीश, जिसके अधिष्ठान के अंतर्गत ऐसी रिक्ति होती है, को परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंप सकता है।

(2) प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक और फर्राशों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न अनुसूची-1 के अनुसार होगा।

(3) चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों में समूह "घ" अधिष्ठान जिला संवर्ग का है तथा जिला न्यायाधीश नियुक्ति प्राधिकारी हैं, इसलिए अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन कर सकता है तथा उसे केवल उसी जिले के लिए चयन हेतु विचार किया जाएगा। नियुक्ति के लिए जिलावार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(4) चौकीदारों, मालियों और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा रिक्ति होते ही की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित जिला न्यायाधीश चौकीदारों, मालियों और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद उच्च न्यायालय को ऐसी नियुक्ति के बारे में सूचित करेंगे।

7. अस्थायी भर्ती

जैसे ही समूह "घ" का कोई पद रिक्त होता है, संबंधित जिला न्यायाधीश स्थायी नियुक्ति तक या एक वर्ष के लिए, जो भी पहले हो, सरकार द्वारा अनुमोदित आउटसोर्स एजेंसी से किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था अस्थायी प्रकृति की होगी और समूह "घ" के नियमित स्थायी

कर्मचारियों की भर्ती के बाद समाप्त हो जाएगी।

8. **नियुक्ति प्राधिकारी** किसी जजशिप में समूह "घ" कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएंगी।
9. **स्थानान्तरण** (1) जिला न्यायाधीश, जब वह संतुष्ट हो कि ऐसा स्थानान्तरण लोकहित में वांछनीय है वह अधिष्ठान के किसी भी समूह "घ" कर्मचारी को उसी जजशिप के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर सकते हैं, जिला न्यायाधीश अनुशासनात्मक आधार पर भी किसी समूह "घ" कर्मचारी को उसी जजशिप के दूसरे अधिष्ठान में स्थानान्तरित कर सकते हैं।
(2) अनुशासनात्मक कारणों के आधार पर उच्च न्यायालय समूह "घ" कर्मचारियों को उत्तराखण्ड के किसी भी जिले में स्थानान्तरित कर सकता है। समूह "घ" के उस कर्मचारी की वरिष्ठता उस जिले में कार्यरत सबसे कनिष्ठ समूह "घ" कर्मचारी के बाद होगी। समूह "घ" कर्मचारियों को किसी अन्य जिले में स्थानान्तरित करने के लिए उस पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है, जिसके साथ समूह "घ" कर्मचारी जुड़ा हुआ है।
10. **प्रशिक्षण** (1) नियुक्ति के पश्चात् समूह "घ" के कर्मचारियों को उनके संबंधित जजशिप में 01 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
(2) समूह "घ" के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा।
11. **आरक्षण** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
12. **राष्ट्रीयता,** कोई भी व्यक्ति अधीनस्थ सिविल न्यायालय के समूह "घ"

अधिवास और निवास 1" अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह:

- (1) भारत का नागरिक हो,
- (2) जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में हो, तथा उसने अन्य किसी राज्य का अधिवास प्राप्त न किया हो; या
- (3) जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में न हो, परन्तु उसने उत्तराखण्ड में अधिवास प्राप्त कर लिया हो;

राष्ट्रीयता, अधिवास और निवास योग्यता भर्ती के समय लागू नियमों के अनुसार होगी।

13. आयु

अधिष्ठान में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जाती है उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

14. शारीरिक योग्यता

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे;

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,

2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से वर्जित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

15. **चरित्र** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
16. **शैक्षिक योग्यताएं** प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक और फर्राश के पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक और फर्राश के पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति की अधिकतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट/12वीं की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
17. **प्रतीक्षा सूची** प्रोसेस सर्वर, अनुसेवक और फर्राश के पद पर नियुक्ति के लिए जिलावार प्रतीक्षा सूची उस जिले की कुल रिक्तियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं रखी जाएगी। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष की अवधि के लिए या मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किसी भी अवधि के लिए वैध होगी।
18. **वरिष्ठता** अधिष्ठान में सम्मिलित किसी भी वर्ग के पदों में

वरिष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष में मौलिक नियुक्ति की तिथि से योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि एक ही भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नियुक्त दो या अधिक व्यक्ति अंतिम चयन सूची में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी वरिष्ठता आयु के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ऐसी स्थिति में उम्र में बड़े व्यक्ति को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि अंक और आयु भी समान हैं, तो वरिष्ठता उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

19. **परिवीक्षा,
स्थायीकरण
अदि**

(1) अधिष्ठान में किसी मौलिक रिक्ति पर किसी पद पर सीधी नियमित नियुक्ति या पदोन्नति पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा, जिसके अंत में, उसे उस पद पर स्थायी कर दिया जाएगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह समझता है कि उसका कार्य संतोषजनक रहा है;

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को निर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ा सकता है, जो अलग-अलग मामलों में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के बाद, संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा स्थायीकरण आदेश पारित किया जाएगा और यदि जिला न्यायाधीश द्वारा स्थायीकरण आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो कार्मिक को उसके मूल पद पर स्थायी माना जाएगा;

परन्तु यह कि ऐसे कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो और दुर्व्यवहार, कदाचार की कोई रिपोर्ट या कर्तव्यों में लापरवाही की शिकायत न हो।

20. **परिवीक्षा के
दौरान वेतन**

कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से ही राज्य की सेवा में नहीं है, तो परिवीक्षा अवधि के दौरान उस पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त करेगा, जिस पर वह नियुक्त किया गया है।

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक सेवा न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो ऐसी बढ़ाई

गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

21. वेतनमान

समूह "घ" के पदों के लिए वेतनमान विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान अनुसूची-2 के अनुसार होगा, जब तक कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार इसमें परिवर्तन न किया जाय।

22. वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन आदि

इस नियमावली में दिए गए प्रावधानों के सिवाय, अधिष्ठान में पद पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्ते, छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा विनियमित होंगी।

23. निरसन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय निम्नतर लिपिकवर्गीय कर्मचारी अधिष्ठान नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निरस्त मानी जाएगी। यद्यपि, अधीनस्थ न्यायालयों के शासनादेशों में समय-समय पर सृजित पदों को इस नियमावली के अनुसार पढ़ा जाएगा।

24. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये किय अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक

समझे, उसे नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

25. व्यावृत्ति

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुसूची-1
[नियम-6(2) देखें]

चयन के लिए मानदंड

(1) समूह "घ" पदों पर चयन के संबंध में कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है -

- (1) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा - 90 अंक
(2) बोनस - 10 अंक [10 अंक - बोनस, जैसा कि नीचे (ग) और (घ) में उल्लिखित है।]

(2) बोनस अंक अनुभव के लिए निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे -

(क) किसी भी आवेदक को उसके अनुभव के लिए बोनस के रूप में 10 अंक से अधिक नहीं दिए जाएंगे।

(ख) छह महीने से कम अवधि के अनुभव के लिए कोई बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे।

(ग) उत्तराखण्ड सरकार के किसी भी अधिष्ठान में नियमित कर्मचारी, संविदा के तहत, या आउटसोर्सिंग के माध्यम से समूह "घ" कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को 16 वर्षों के अनुभव की अधिकतम सीमा तक, छह माह से अधिक के प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए आधा (0.5) अंक प्रदान किया जायेगा।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी बहुकार्य जैसे खाना बनाना, गाड़ी चलाना, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या बढ़ई का काम करने में सक्षम है तो उसे बोनस अंक भी दिए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए चयन समिति द्वारा एक व्यावहारिक परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है।

अनुसूची-2
[नियम-21 देखें]

वेतनमान

इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार होंगे:-

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान
1.	दफ्तरी और बंडल लिफ्टर,	रु.18000-56900 लेवल-1
2.	प्रोसेस सर्वर,	रु.18000-56900 लेवल-1
3.	अनुसेवक और फर्गश,	रु.18000-56900 लेवल-1
4.	चौकीदार और माली,	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी जैसे उपनल, पीआरडी आदि से सरकार द्वारा तय मानदेय के आधार पर आउटसोर्स किए जाएंगे।
5.	अंशकालिक सफाई कर्मचारी	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय पर अंशकालिक रूप में।

पाठ्यक्रम- सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, गणित, एवं उत्तराखण्ड के बारे में ज्ञान, जो हाई स्कूल स्तर का होगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

Signed by

Pradeep Pant

Date: 28-10-2024 15:50:3

(प्रदीप पन्त)

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of Notification No. 1038/XXXVI(2)/24/09 (विधि) /24 dated 28-10-2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Law Section-2
No. 1038 /XXXVI(2)/24/09(विधि) /24
Dehradun, dated 28 October, 2024

Notification

Miscellaneous

In exercise of the power conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment of Group 'D', posts, and the conditions of service of the persons appointed to such posts in all Subordinate Courts under the jurisdiction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, namely:-

THE UTTARAKHAND SUBORDINATE CIVIL COURTS
GROUP 'D' SERVICE RULES, 2024

1. **Short title and commencement** 1. These Rules may be called "the Uttarakhand Subordinate Civil Courts Group 'D' Service Rules, 2024".
2. They shall come into force atonce.

2. Definitions

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "Anusewak (Peon/Office peon/ Residential Office Peon/Home Orderly/Chaprasi)" means the person whose duty is to follow the orders and peon/Residential Office directions of his superiors;

(b) "Appointing Authority" means the authority specified in a particular department to the appointing authority in regard to any category or categories of posts to which these rules apply;

(c) "Bundle lifter" means the person who works with Record Keeper of the Court and does other works assigned by superiors;

(d) "Chowkidar" means the person who guards buildings, premises etc. against fire, theft, illegal entry and other such contingencies, receives instructions about his duty, patrols around buildings and premises frequently, examining doors, windows and gates and ensures that they are properly secured and have not been tampered with and does other works assigned by superiors;

(e) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

- (f) "Constitution" means the Constitution of India;
- (g) "Daftari" means the person who maintains the office files and other essentials of office and does other works assigned by superiors;
- (h) "Direct Recruitment" means recruitment otherwise than by promotion persons already on the staff of a Subordinate Court of the Judgeship;
- (i) "District Judge" means a Judge incharge of a Judgeship;
- (j) "Establishment" means the Group D establishment of a Subordinate Civil Court consisting of Government servants classed as Group-D and paid from the establishment section of the budget of each judgeship;
- (k) "Farrash" means the person who is the custodian of the keys and locks and supervises the work of cleaning in the Court/Office premises;
- (l) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
- (m) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
- (n) "High Court" means the High Court of Uttarakhand, Nainital;
- (o) "Judgeship" means local limits of the jurisdiction of a District Judge

defined by the State Government from time to time,

(p) "Mali or Gardener" means the person who grows flowers, trees, shrubs, seedlings, vegetables, etc. in public or private gardens, prepares soil and sows seeds, plants, seedlings etc. and maintains the garden;

(q) "Process Server" means the person who serves summons, notices or other processes of law issued by court, on parties concerned for appearance in courts or for realization of dues etc;

(r) "Rules" means The Uttarakhand Subordinate Civil Courts Group D Service Rules, 2024;

(s) "Subordinate Civil Court" means the Court of a District and Sessions Judge, the Principal Judge/Judge of Family Courts, Additional District and Sessions Judge, Civil Judge (SD), Additional Civil Judge (SD), Civil Judge (JD), Chief Judicial Magistrate(CJM), Additional Chief Judicial Magistrate(ACJM), Judicial Magistrate, Additional Civil Judge (JD), Court of Small Causes and all other courts Subordinate to District and Session Judge and Principal Judge of Family Courts;

(t) "Sweeper or Paryavaran Mitra" means the person who cleans, sweeps and scrubs buildings, streets, parks, toilets etc. cleans carpets and rugs and furniture with brush; removes garbage; sweeps with broom or brush floors of buildings etc. removes dust and garbage in basket to dustbin;

(u) "Waiting List" means the list of candidate approved under these rules, for appointment to the various posts in the establishment.

3. Strength of Group 'D' establishment

(1) The strength of the establishment shall be such as may be determined by the Government from time to time:

Provided that the High Court or the District Judges with the prior approval of High Court may create such additional temporary posts with the approval of State Government from time to time as may be found necessary for not more than 01 year, renewable by the Government from year to year;

Provided further that any vacant post may be kept in abeyance by the Governor or left unfilled by the appointing authority

without thereby entitling any person to compensation.

(2) The Group 'D' staff on each Judgeship shall, ordinarily, be divided into the following classes-

(i) Dafteries and Bundle lifters,

(ii) Process Server,

(iii) Anusewak and Farrash,

(iv) Chowkidar and Malis,

(v) Sweepers part time.

4. Work Profile

(1) Except malis, sweepers and chowkidars, the services of all other group 'D' staff may be interchangeable amongst themselves for the purpose of process servers, anusewaks, farrash. However, the senior most amongst the Group 'D' staff shall be preferred to work as process servers.

Further, District Judge may distribute the work amongst them as per the efficiency of employee and as per requirement.

(2) The Group 'D' employees would attend all the duties including all domestic and house-help duties, as

assigned by the presiding officers or superiors in a dedicated manner, even during holidays and after routine working hours (depending on the need and exigency).

(3) There shall be a strict monitoring and supervision during their initial appointment and the period of probation, and their services could be terminated any time, if the work and conduct of the selected candidates is not found satisfactory, during or after the period of probation.

5. Source of appointment for permanent posts

Recruitment to the following posts in the establishment shall be made:

(1) **Daftaries and Bundle Lifters-** Shall be Appointed from amongst process-servers, Anusewak and farrash on the basis of seniority-cum-merit, who have put in at least five years service as such.

Provided that no person shall be appointed to these posts unless he is able to read and write Hindi in Devnagri script with correctness and fluency and can discharge the duties of the office satisfactorily and in the

case of the post of daftari unless he also knows book binding.

- (2) **Process servers, Anusewak and Farrash-** By Direct Recruitment, as mentioned in Rule 6.

Group 'D' staff should be multitasking and preference in selection shall be given to a candidate who has the knowledge of cooking, driving, electricity, plumber, carpenter's work and other miscellaneous works.

- (3) **Malis and Chowkidar-** Shall be outsourced from any Government approved agency as UPNL, PRD etc. at the rate as decided by the relevant Government Orders.

- (4) **Sweeper-** At the honorarium as decided by the relevant Government Orders.

6. Mode of appointment

- (1) Whenever a vacancy occurs in Group 'D' Cadre, High Court may conduct centralized recruitment for Process servers, Anusewaks and Farrash by itself or may conduct exam through any recruitment

agency, as nominated by the Chief Justice. High Court shall have the power to delegate the examination to be conducted by concerned District Judge or Family Judge, under whose establishment such vacancy occurs.

(2) For making Direct Recruitment of Process servers, Anusewaks and Farrashes, the syllabus and pattern of the examination shall be as schedule I.

(3) As the Group 'D' establishment in subordinate courts is district cadre and District Judge is the appointing authority, therefore, a candidate may apply by opting only for one district and he/she shall be considered for selection for that District only. For the appointment, district-wise merit list shall be prepared.

(4) The engagement of Chowkidars, Malis and Sweepers shall be done by concerned District Judge, as soon as any vacancy occurs and for this purpose, prior approval of High Court shall not be required. The Concerned District Judge shall after engagement of Chowkidars, Malis and Sweepers inform the High Court about such engagement.

7. Temporary Recruitment

As soon as any vacancy of Group 'D' arises, the concerned District Judge may engage any suitable person, from Government approved outsource agency, to the post till permanent appointment or for one year, whichever is earlier. This arrangement shall be temporary in nature and will come to an end after recruitment of regular permanent staff of Group 'D'.

8. Appointing authority

All appointments of Group 'D' staff to the establishment in a judgeship shall be made by the District Judge.

9. Transfer

(1) The District Judge may transfer any member of the establishment from one office to another in the same judgeship, when he is satisfied that such transfer is desirable in the public interest. District Judge may, on disciplinary ground, transfer any group'D' staff to another establishment of same judgeship.

(2) High Court may transfer Group 'D' staff to any of the district of Uttarakhand on account of disciplinary reasons. The seniority of that staff of Group 'D' shall be next to the junior most Group'D' Staff working in that district. A report of

presiding officer with whom the Group 'D' staff is attached may be considered for transferring the group 'D' staff to another District."

10. Training

(1) After appointment, group 'D' employee shall be imparted 01 month's training in their respective Judgeship.

(2) Time to time training of Group-D employees shall also be conducted for grooming them and improving their work efficiency.

11. Reservation

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically weaker Sections and other category belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the Government orders of the Government in force at the time of the recruitment.

12. Nationality, domicile and residence

A person shall be eligible for appointment to a post in the Group D establishment of Subordinate Civil Court if he is;

1. Citizen of India.
2. whose original domicile is in Uttarakhand and he has not

acquired a domicile elsewhere State; or

3. whose original domicile is not in Uttarakhand but who has acquired a domicile in Uttarakhand;

The nationality, domicile and residence qualification shall be in accordance with the rules in force at the time of recruitment.

13. Age

A candidate for direct recruitment in establishment, must have attained the age of 18 years on the first day on July of the Calendar year in which vacancies are advertised. Upper age limit shall be as prescribed by the State Government time to time;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified by State Government.

14. Physical Fitness

A candidate shall be appointed to any post in the Service only if he is in good mental and physical health and

is free from any physical defect which is not likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he will be required to produce a fitness certificate in accordance with the rules made under Fundamental Rule-10 given in Chapter III of Financial Hand Book Volume II Part III.

Provided that in order of Section 33 the posts identified for this purpose and the categories identified under Section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016) the disabled shall not be denied for appointment as per rules;

Provided further that fitness certificate shall not be required from the candidates recruited by promotion.

15. Character

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service should be such that he is suitable in all respects for employment in Government service, the Appointing Authority shall satisfy himself in this regard.

16. Educational Qualifications

No person shall be considered for appointment to the posts of Process Server, Anusevak and Farrash unless he has passed the High School Examination of Uttar Pradesh Board of Secondary Education or Uttarakhand Board of Education and Examination or any other examination declared equivalent thereto by the Government. The maximum educational qualification of any person for appointment to the posts of Process Server, Anusevak and Farrash is Intermediate/12th examination from any recognized Board or Institute of Uttar Pradesh Board of Secondary Education or Uttarakhand Board of Education and Examination or any other examination declared equivalent thereto by the Government.

17. Waiting List

A district-wise waiting list not exceeding 25% of the total vacancies of that district shall be maintained for appointment to the post of Process server, Anusewak and Farrash. The waiting list shall be valid for a period of one year, or for any period, as prescribed by the Chief Justice.

18. Seniority

Seniority in any class of posts included in the establishment shall be determined by the date of substantive

appointment in the selection year on the basis of merit list.

Provided that if two or more persons, appointed as a result of same recruitment process, having obtained same marks in final selection list, their seniority should inter se be determined according to age. The elder one shall be considered senior in such case and if marks as well as age is also same, then seniority shall be determined in order of alphabetical order of their names.

**19. Probation,
Confirmation
etc**

(1) Every person on direct regular appointment or promotion to a post in the establishment in a substantive vacancy, shall be placed on probation for a period of two years, at the end of which, he shall be confirmed in the post, if the Appointing Authority considers that his work has been satisfactory:

Provided that the appointing Authority may extend the period of probation for a specified period not exceeding one year in individual cases.

(2) After completion of period of probation, confirmation order shall be passed by the concerned District

Judge and if confirmation order is not passed by the District Judge, the employee shall be deemed to have been confirmed on his original post;

provided that no disciplinary proceedings are pending against him and there is no report of misbehavior, misconduct or complain of dereliction in duties.

20. Pay during probation

A person on probation, if he is not already in the service of the State, shall during the period of probation draw the minimum of the pay scale of the post to which he is appointed.

Provided that, if the period of probation is extended due to his failure of satisfactory service, the period of extension shall not be counted for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

21. Pay Scale

Pay Scales for Group "D" Posts the permissible pay scales for persons appointed to various categories of posts, whether substantively or officiatingly or on temporary basis, shall be such as may be determined by the Government from time to time. The pay scales in force at the

commencement of these rules shall be as per the Schedule-2, unless it is changed by the orders of the State Government.

22. Pay, allowance, leave pensions etc.

Except as provided in these rules, the pay and allowance, leave, pension and other conditions of service of persons appointed to post in the establishment, shall be regulated by the rules made under article 309 of the Constitution of India, and orders issued by the State Government from time to time.

23. Repeal

The U.P. Subordinate Civil Courts Inferior Ministerial Establishment Rules, 1955 (as amended from time to time) shall stand repealed from the date of coming into force of these Rules. However, the posts created in G.Os. of Subordinate Courts from time to time shall be read as per these rules.

24. Relaxation

Where the State Government is satisfied that in a particular case undue hardship is caused to a person appointed to the Establishment, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to that case, by order exempt him from

or relax the requirements of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

25. Saving

Nothing in these rules shall have any effect on such reservations and other concessions required for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically weaker section and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Schedule -I
[See Rule-6(2)]

Criteria for Selection

1. The scheme of marks in respect of selection to Group-D posts shall comprise of total 100 marks, the details of which is given below:-

- i. Objective type Test - 90 marks
- ii. Bonus - 10 marks (**10- Bonus marks, as mentioned in (c) and (d) below**)

2. The bonus marks for experience are to be allocated as follows -

(a) No applicant shall be given more than 10 marks as bonus for his experience.

(b) No bonus marks shall be awarded for any period less than six months experience.

(c) One half (0.5) marks for each year or part thereof exceeding six months of experience, subject to maximum 16 years, for experience of group 'D' work in any establishment of Government of Uttarakhand on contract or through outsourcing.

(d) Bonus marks may also be awarded if a candidate is capable of multitasking like cooking, driving, plumber, electrician or carpenter's work. For this purpose, a practical test may also be conducted by the selection committee.

Schedule -2
[See Rule-21]

Pay Scale

The scales of pay in force at the commencement of these rules are as follows:-

Sr. No.	Post Name	Pay Scale
1.	Daftaries and Bundal Lifters	18000-56900 Level-1
2.	Process Server	18000-56900 Level-1
3.	Anusewak and Farrash	18000-56900 Level-1
4.	Chowkidar and Malies	To be outsourced from any Government approved agency as UPNL,PRD etc. at the rate as decided by the relevant Government Orders.
5.	Part time Sweeper	At the honorarium as decided by the relevant Government Orders.

Syllabus- General Knowledge, General English, General Hindi, General Science, Maths and Knowledge about Uttarakhand which shall be of high school level. There shall be no negative marking.

Signed by
Pradeep Pant
Date: 28-10-2024 15:49:44

(Pradeep Pant)
Principal Secretary